141

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल (म०प्र०) ग्वालियर

R 4059-I-16

प्र०क्र०

डा० राजेन्द्र कुमार जैन द्वारा आम जनता सिविल लाईन पुष्पा स्कूल के सामने टीकमगढ़ तहव जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मुख्य नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ म.प्र.

..अनावेदक

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र०क्र०172/ बी121 /2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 26/9/2016 अंतर्गत धारा 330 म०प्र०नगरपालिका एक्ट

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि पुनरीक्षणकर्ता का मकान मौजा टीकमगढ़ खास मे खसरा नं.524 एव आम जनता सिविल लाईन के मकान पृथक खसरा नम्बरी मे बने हुए है जो विधिवत नामांतरण डायवर्सन एवं नगर पालिका से स्वीकृती के पश्चात बनाए गए राजेन्द्र अस्पताल चौराहे से पुष्पा स्कूल तक अर्थात टीकमगढ़ से झांसी रोड पर पश्चिम दिशा मे निजी भवन बने हुए है तथा पूर्व दिशा मे नगर पालिका की एवं रेडक्रास की दुकाने बनीहुई है सड़क की चौड़ाई 90फीट थी नगर पालिका द्वारा डिवाईडर जो बनाया गया उन्होने अपनी दुकानो के सामने 55फीट जगह छोड़ी तथा जिस ओर पश्चिम दिशा मे निजी मकान है वहां 35 फिट जगह छोड़ी और मुख्यमंत्री अधोसंरचना का बहाना लेकर नोटिस मकान तोड़ने हेतु दिनांक 30/05/2016 को जारी किया था इस दूषित प्रक्रिया से दुखित होकर धारा308 म.प्र. नगर पालिका एक्ट 1961 के अंतर्गत परीक्षण न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ को अपील प्रस्तुतकी थी उक्त अपील मे आवेदक ने विधिवत स्थल का नक्शा संलग्न किया था तथा माननीय उच्चन्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की याचिका क्र. डब्लयू.पी/8600/15 प्रस्तुत की थी जिसमे मा० खण्डपीठ ने डिवाईडर नगर निगम को बीच सड़क पर बनाने के निर्देश दिए गए थे परंतु परीक्षण न्यायालय ने मा० खण्डपीठ के आदेश कोभी दर किनार करते हुए अपने आदेश मे यह लिख दिया कि नगर पालिका अधिकारी टीकमगढ़ के तथ्यो का खण्डन नही किया गया तथा मास्टर प्लान के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत नही कि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4059–एक/16 जिला–टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
07.12.16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 172/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.9.16 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 330 म0प्र0 प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं है, इसलिये यह निगरानी निरस्त की जावे। 3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 330 म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलन योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	